सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (ख)(1) के अन्तर्गत मैनुअलों का संग्रह

(वर्ष 2021–22)

(मैनुअल संख्या–17)
(अध्यावधि किये गये मैनुअलों का विवरण)

कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड, काशीपुर

विषय सूची

क्रं0सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग (एक दृष्टि)	1–20
2.	विभागीय संरचना गन्ना विकास विभाग, उत्तराखण्ड	21–23
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2019–20 से 2023–24 तक	24–26
4.	गन्ने का क्षेत्रफल, समितिवार गन्ना प्रजातियां एवं मिलवार गन्ना की प्रजातियों की उपलब्धता एवं पेराई का विवरण पेराई सत्र 2020–21 एवं पेराई सत्र 2021–22 में गन्ना क्षेत्रफल का तुलनात्मक विवरण	27
5.	उत्तराखण्ड राज्य में जनपदवार गन्ना क्षेत्रफल पौधा/पेड़ी (हेक्टे0/प्रतिशत) में वर्ष 2021–22 एवं उत्तराखण्ड राज्य में जोनवार गन्ना क्षेत्रफल पौधा/पेड़ी (क्षेत्रफल हेक्टे0 में) वर्ष 2021–22	28
6.	गन्ना विकास परिषदवार गन्ना क्षेत्रफल (हे0 में) वर्ष 2021–22	29
7.	उत्तराखण्ड राज्य में जनपदवार/प्रजातिवार गन्ना क्षेत्रफल (हे0 में) वर्ष 2021–22	30
8.	चीनी मिल क्षेत्रवार गन्ना क्षेत्रफल (हे0 में) वर्ष 2021–22	31
9.	गन्ना विकास परिषदवार गन्ना क्षेत्रफल (हे0 में) वर्ष 2021–22	32
10.	पेराई सत्र 2021–22 हेतु गन्ना आपूर्ति एवं सट्टा नीति	33–53
11.	पेराई सत्र 2021–22 हेतु गन्ना सर्वेक्षण नीति का निर्धारण	54–69
12.	पेराई सत्र 2021–22 में चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई, चीनी उत्पादन, रिकवरी, गन्ना मूल्य, भुगतान एवं अवशेष का विवरण	70
13.	लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टयां	71–73

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
(एक दृष्टि)

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

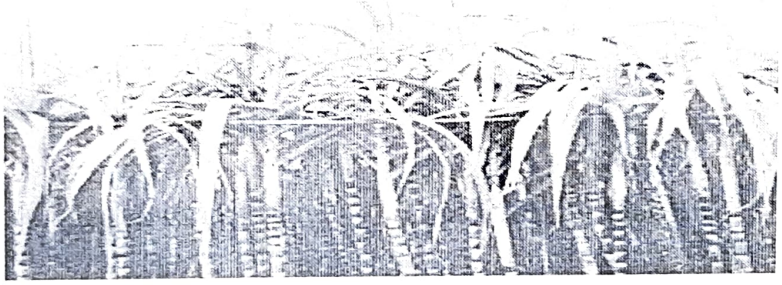

मा० मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड सरकार

विभाग की बिन्दुवार सूचना

कार्यालय आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड, काशीपुर

- उत्तराखण्ड राज्य में पेराई सत्र 2021-22 हेतु कुल क्षेत्रफल 88022.072 हेक्टेयर है, जिसमें गन्ना पौधा क्षेत्रफल 43830.125 हेक्टेयर एवं पेडी गन्ना क्षेत्रफल 44190.947 है। में गन्ने की फसल है, जो कि विगत पेराई सत्र 2020-21 के सापेक्ष 4.68 प्रतिशत अधिक है।
- जनपद पिथौरागढ में गन्ने की खेती को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा जैविक गन्ना कृषक श्री नरेन्द्र मेहरा एवं गन्ना अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से क्षेत्र के किसानो को भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत विभिन्न उत्तम प्रजातियों का अधिकतम 100 कुन्तल जैविक/अजैविक गन्ना बीज उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु हल्द्वानी क्षेत्र के गौलापार के प्रगतिशील गन्ना कृषक द्वारा अधिष्ठापित की गई पौधशाला से पी0बी0 96 (शीघ्र) का 20 कुन्तल, को0 12029 (सामान्य) का 03 कुन्तल, को0 88230 (सामान्य रसगुल्ला प्रजाति) का 02 कुन्तल तथा को0 118 (शीघ्र) का 2 कुन्तल, कुल 27 कुन्तल जैविक एवं अजैविक गन्ना बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। उपलब्ध कराये जा रहे गन्ना बीज पर 50 प्रतिशत तथा बीज की ढुलाई के परिवहन पर 100 प्रतिशत अनुदान विभाग द्वारा दिया जायेगा।
- कृषकों की ओर अधिक मांग प्राप्त होने पर गन्ना अनुसंधान केन्द्र, काशीपुर के माध्यम से को0पन्त 12221, को0पन्त 92222, को0शा0 8272, को0शा0 8279, को0पन्त 12226 तथा को0 118 प्रजाति का गन्ना बीज विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- बीज उत्पादन केन्द्र गो0ब0पन्त0 कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में नयी अगेती गन्ना प्रजाति को0 पन्त0 12221, सामान्य गन्ना प्रजाति को0पन्त0 12226 तथा को0पन्त0 13224 को विकसित किया गयी है। जो पूरे उत्तराखण्ड राज्य के मैदानी, तराई, भावर एवं जलप्लावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होगी। बसन्तकालीन गन्ना बुवाई हेतु बीज उत्पादन केन्द्र गो0ब0पन्त0 कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा उक्त नवीनतम गन्ना प्रजातियों के गन्ना बीज किसानो को वितरित किया जा रहा है।
- गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम के अन्तर्गत गन्ना प्रजाति को0 0238 के स्थान पर अन्य उत्तम, रोग रहित एवं उच्च शर्करा युक्त यथा गन्ना प्रजाति को0शा0 8272, को0 118, को0पी0के0 5191, को0 15023, को0 15027, को0पी0बी0 91, को0पी0बी 92, को0पी0बी 95, को0पी0बी 96, को0पी0बी 98, को0 13035, ब्वसा 9709ए ब्वसा 12207ए ब्वसा 14201 एवं को0शा0 13235 के विस्तार के कार्यक्रम के अन्तर्गत अंकन रू0 17.20 लाख की धनराशि व्यय किया गया है।
- गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम के अन्तर्गत पेराई सत्र 2021–22 में 98.68 प्रतिशत गन्ना क्षेत्रफल में शीघ्र गन्ना प्रजातियो की बुवाई की गई है जो कि विगत पेराई सत्र मे 96.74 प्रतिशत था।
- पेराई सत्र 2020–21 हेतु प्रति हेक्टेयर गन्ने की औसत उपज 829 कुन्तल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की गई है, जो कि उत्तराखण्ड राज्य गठन उपरान्त सर्वोच्च है।
- विगत पेराई सत्र 2020–21 में राज्य की चीनी मिलों द्वारा कुल 378.09 लाख कुन्तल गन्ना पेराई की गयी है।
- पेराई सत्र 2021–22 में राज्य की चीनी मिलो द्वारा अद्यावधिक (12.04.2022) तक कुल 397.15 लाख कुन्तल गन्ना पेराई की गयी है।
- विगत पेराई सत्र 2020–21 में राज्य की चीनी मिलों द्वारा कुल 41.55 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया।
- पेराई सत्र 2021–22 मे राज्य की चीनी मिलो द्वारा अद्यावधिक (12.04.2022) तक कुल 40.52 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया है, तथा राज्य की चीनी मिलों द्वारा औसत चीनी परता 9.98 प्रतिशत प्राप्त किया गया है।
- विगत पेराई सत्र 2020–21 मे राज्य की चीनी मिलों द्वारा औसत चीनी परता 10.99 प्रतिशत प्राप्त किया गया है।

- [illegible] 2021–22 [illegible] रू0 345.00 प्रति कुन्तल [illegible] रू0 [illegible] प्रति कुन्तल [illegible] निर्धारित की गई।
- पेराई सत्र 2020–21 हेतु [illegible] रू0 [illegible] करोड़ का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। पेराई सत्र 2021–22 [illegible] रू0 1392.37 करोड़ के सापेक्ष अब तक रू0 898.34 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।
- सहकारी गन्ना विकास समितियों को आत्मनिर्भर बनाने [illegible] गन्ना जूस मशीन स्थापित कर संचालित कराई जानी है, ताकि गन्ना समितियों की आय में वृद्धि हो सके। [illegible] गन्ना जूस स्टॉल का सफल उद्घाटन माननीय मंत्री जी द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
- विभाग द्वारा प्रथम चरण में गुजरात से मंगाई गई 04 गन्ना जूस मशीन [illegible] में 04 गन्ना जूस मशीन स्थापित कराई गई है।
- उन्नतशील गन्ना बीज उत्पादन की योजना – अधिष्ठापित आधार पौधशालाओं पर अनुसूचित जाति/जनजाति के गन्ना कृषकों को रुपये 2000 प्रति हेक्ट0 तथा सामान्य गन्ना कृषकों के लिए रुपये 1000 प्रति हेक्ट0 एवं प्राथमिक पौधशालाओं पर अनुसूचित जाति/जनजाति गन्ना कृषकों के लिए रुपये 1000 प्रति हेक्टेयर तथा सामान्य गन्ना कृषकों के लिए रुपये 500 प्रति हेक्टे का अनुदान दिया जा रहा है।
- उन्नतशील गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत आधार/प्राथमिक पौधशालाओं का अधिष्ठापन पेराई सत्र 2020–21 में 3387 हेक्टेयर किया गया। पेराई सत्र 2021–22 हेतु आधार/प्राथमिक पौधशालाओं का अधिष्ठापन अद्यावधिक (31.03.2022) तक अंकन रू0 14.00 लाख व्यय कर कुल 3564.969 हेक्टेयर किया जा चुका है।
- बीज/भूमि उपचार में प्रयुक्त होने वाले रसायनों पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
- बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत पेराई सत्र 2020–21 में 28025 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल उपचारित किया गया। पेराई सत्र 2021–22 में अद्यावधिक (31.03.2022) तक अंकन रू0 21.60 लाख व्यय कर कुल 33950 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल उपचारित किया जा चुका है।
- पेड़ी गन्ना फसल पर लगने वाले कीटों एवं रोगों व्याधियों से बचाव करने वाले रसायनों पर 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।
- पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेराई सत्र 2020–21 में 27073 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल उपचारित किया गया तथा पेराई सत्र 2021–22 हेतु अद्यावधिक (31.03.2022) तक अंकन रू0 50.00 लाख व्यय कर कुल 41978.118 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल उपचारित किया जा चुका है।
- गन्ना क्रय केन्द्रों को ग्राम एवं पक्की सड़क से जोड़ने हेतु 75 प्रतिशत शासकीय अंशदान के आधार पर सड़कों का निर्माण।
- अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 12.465 कि0मी0 सड़कों का निर्माण/पुनर्निर्माण कार्य कराया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में अद्यावधिक (31.03.2022) तक अंकन रू0 221.01 लाख व्यय कर कुल 11.105 कि0मी0 सड़कों का निर्माण/पुनर्निर्माण कार्य कराया जा चुका है।
- नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य के गन्ना कृषकों को अंकन रू0 17.65 करोड़ ऋण वितरित किया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में अद्यावधिक (31.03.2022) तक अंकन रू0 16.19 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभिन्न प्रकार की फसलों को गन्ने के साथ सहफसली के रूप में अंकन रू0 16.81 लाख की योजनान्तर्गत 289 गन्ना किसानों को अनुदान देकर 177.88 हेक्ट0 भूमि पर प्रदर्शन लगाकर सहफसली उत्पादन किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कृषि निदेशक के कार्यालय पत्र संख्या 1097/नियो0–02/एन.एफ.एस.एम./2021 दिनांक 30 जून, 2021 के द्वारा अंकन रू0 49.74 (32.93+16.81 गतवर्ष 2020–21 का अवशेष) लाख योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके सापेक्ष योजनान्तर्गत विभाग को प्रथम किस्त के रूप में अंकन रू0 12.46 धनराशि प्राप्त हुयी है। योजनान्तर्गत 138.11 हेक्टेयर भूमि पर प्रदर्शन लगाकर सहफसली उत्पादन कर गन्ना कृषकों को लाभान्वित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमान्त गन्ना कृषकों को 50 प्रतिशत एवं सामान्य गन्ना कृषकों को 40 प्रतिशत के अनुदान पर कृषि यन्त्र देने हेतु अंकन 1475.88 लाख कार्य योजना का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत विभाग को धनराशि अवंटन नहीं की गयी है।
- राज्य सरकार द्वारा कृषक हितों को ध्यान में रखते हुये पेराई सत्र 2021–22 हेतु बन्द पड़ी सितारगंज, चीनी मिल को पुनः चालू कराया गया है। चीनी मिल चीनी मिल द्वारा अद्यावधिक 12.04.2022 तक 16.96 लाख गन्ना की पेराई कर 1.16 लाख कु0 चीनी का उत्पादन किया गया है।
- गोदान निर्माण हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ऋण योजना गोदाम निर्माण हेतु सहकारी चीनी मिलों एवं सहकारी गन्ना समितियों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण।

1. विभाग की विगत पांच वर्षो में किये गये कार्यो की सूचना/उपलब्धियां

क्र0सं0	महत्वपूर्ण उपलब्धियां	वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक (04 वर्षों की अवधि)		
1	गन्ना क्षेत्रफल	वर्ष	क्षेत्रफल हेक्टेयर	
		2017–18	86053	
		2018–19	92938	
		2019–20	84930	
		2020–21	84088	
		2021–22	88022	
2	गन्ना आपूर्ति एवं चीनी उत्पादन	वर्ष	गन्ना पेराई ला0कु0	चीनी उत्पादन ला0कु0
		2017–18	409.14	41.90
		2018–19	365.23	40.08
		2019–20	408.96	45.80
		2020–21	378.13	41.11
		2021–22	408.80	41.93 (18.04.2022)तक
3	चीनी परता प्रतिशत	वर्ष	चीनी परता प्रतिशत में	

	Sugar Recovery %	2017–18	10.24
		2018–19	10.97
		2019–20	11.20
		2020–21	10.87
		2021–22	10.26 (18.04.2022)तक
4	जिला योजना	वर्ष	धनराशि लाख रु0 में
	(गन्ना विकास की योजना)	2017–18	180.53
		2018–19	246.38
		2019–20	302.40
		2020–21	305.36
		2021–22	307.51 (31.03.2022)तक
5	उन्नतशील गन्ना बीज उत्पादन हेतु	वर्ष	क्षेत्रफल हेक्टेयर
	पौधशालाओं का अधिष्ठापन।	2017–18	1870
		2018–19	3192
		2019–20	3339
		2020–21	3387
		2021–22	3564.969 (31.03.2022)तक
6	बीज उपचार/भूमि उपचार कार्यक्रम।	वर्ष	क्षेत्रफल हेक्टेयर
		2017–18	25363
		2018–19	25304
		2019–20	34450
		2020–21	28025
		2021–22	33950 (31.03.2022)तक
7	पेड़ी गन्ने से अधिक उत्पादन करने हेतु	वर्ष	क्षेत्रफल हेक्टेयर
	पेड़ी प्रबन्धन कार्य।	2017–18	20827
		2018–19	20329
		2019–20	31654
		2020–21	27073
		2021–22	41978.118 (31.03.2022)तक
8	जिला योजना के अन्तर्गत	वर्ष	कि0मी0 सड़कों का निर्माण/पुनर्निर्माण
	अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना।	2017–18	16.200

	2019–20	11.632
	2020–21	12.485
	2021–22	11.105 (31.03.2022) तक
नाबार्ड ऋण वितरण ।	वर्ष	ऋण वितरण लाख रू0 में
	2017–18	2252.82
	2018–19	2546.36
	2019–20	1247.47
	2020–21	1765.38
	2021–22	1619.00 (30.03.2022)तक
कार्यालय आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड काशीपुर के आवासीय परिसर में एक मल्टीपरपज हाल का निर्माण कराया गया।	वर्ष	व्यय धनराशि लाख रू0 में
	2019–20	20.71
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना ।	वर्ष	धनराशि लाख रू0 में व्यय योजनान्तर्गत
	2017–18	11.00
	2018–19	37.05
	2019–20	41.56
	2020–21	16.81
	2021–22	12.43

अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति

क्र0सं0	पेराई सत्र	गन्ना मूल्य की धनराशि (लाख रुपये में			अवशेष प्रतिशत	अभ्युक्ति
		देय	भुगतान	अवशेष		
1	2	3	4	5	6	7
1.	2021–22	143388.29	91154.28	52234.01	36	18-04-2022
2.	2020–21	121935.93	121935.93	–	–	–
3.	2019–20	131618.83	131618.83	–	–	–
4.	2018–19	117059.61	106585.71	10473.90	8.95	मात्र निजी क्षेत्र की चीनी मिल इकबालपुर के विरूद्ध अवशेष। अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।
5.	2017–18	129257.45	121800.98	7456.47	5.77	
6.	2011–12	90546.51	88172.15	2374.36	2.62	मात्र निजी क्षेत्र के बन्द हो चुकी चीनी मिल काशीपुर के विरूद्ध अवशेष। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में विचाराधीन है।
7.	2007–08	51356.25	51238.30	117.94	0.23	

गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर द्वारा प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों/अधिकारियों का वर्ष वार प्रगति का विवरण :–

वित्तीय वर्ष 2017–18

क्र0 स0	विवरण	कुल आयोजित सत्र	प्रशिक्षित कृषकों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारियों/ अधिकारियों की संख्या	कुल
1	ग्राम/जोन स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र	69	2954	870	3824
2	नवनियुक्त गन्ना पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण	1	0	19	19
3	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना	2	0	40	40
4	अध्ययन यात्रा (अन्तःप्रदेशीय/अर्न्तराजीय)	3	50	16	66
5	गोष्ठी शरदकालीन/बंसतकालीन	2	276	313	589

वित्तीय वर्ष 2018–19

क्र0 सं0	विवरण	कुल आयोजित सत्र	प्रशिक्षित कृषकों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारियों / अधिकारियों की संख्या	कुल
1	ग्राम / जोन स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र	69	2876	793	3669
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना	6	0	120	120
3	अध्ययन यात्रा (अन्तःप्रदेशीय / अन्तर्राजीय)	3	71	12	83
4	गोष्ठी शरदकालीन / बसंतकालीन	2	245	365	610

वित्तीय वर्ष 2019–20

क्र0 सं0	विवरण	कुल आयोजित सत्र	प्रशिक्षित कृषकों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारियों / अधिकारियों की संख्या	कुल
1	ग्राम / जोन स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र	59	2590	557	3147
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना	4	0	82	82
3	अध्ययन यात्रा (अन्तःप्रदेशीय / अन्तर्राजीय)	3	50	14	64
4	गोष्ठी शरदकालीन / बसंतकालीन	2	189	388	577

वित्तीय वर्ष 2020–21

क्र0 सं0	विवरण	कुल आयोजित सत्र	प्रशिक्षित कृषकों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारियों / अधिकारियों की संख्या	कुल
1	ग्राम / जोन स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र	15	667	142	809
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना	2	0	40	40

वित्तीय वर्ष 2021–22 (31.03.2022 तक)

क्र0 सं0	विवरण	कुल आयोजित सत्र	प्रशिक्षित कृषकों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारियों / अधिकारियों की संख्या	कुल
1	ग्राम / जोन स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र	53	2076	546	2622
2	गोष्ठी शरदकालीन	1	65	57	122

2 केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विकासपरक/सम्बन्धित से सम्बन्धित योजनाओं का पूर्ण विवरण एवं दिशा-निर्देश (संक्षिप्त रूप में)

- केन्द्र पोषित योजना एनएफएसएम-वाणिज्यिक फसलें (60 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार की हिस्सेदारी और 40 प्रतिशत राज्य सरकार की हिस्सेदारी) वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अकन रू0 120.00 लाख का प्रस्ताव किया गया है। योजना नीचे दी गयी है :-
- गन्ने की खेती के साथ इंटरक्रॉपिंग और सिंगल बड चिप तकनीक पर प्रदर्शन :- प्रगतिशील गन्ना उत्पादकों के खेतों पर प्रदर्शन किया जाता है जो गन्ने की खेती की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक के चयन पर गाम सभा बुलाई जाती है जहां लाभार्थियों का चयन किया जाता है और चयनित उत्पादकों की सूची को गन्ना विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। गन्ने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की जाती है। जैसे उत्पादक जिनके खेत तक मुख्य सड़को/लिंक सड़कों पर है, उत्पादक के पास सिंचित सिंचाई सुविधाएं आदि होनी चाहिए। ऐसे गन्ना उत्पादक कृषकों को अनुदान रू0 9000 प्रति हेक्टेयर (अनुदान के लिए 8000 और आकस्मिकता के लिए 1000 रूपये) दिये जाते है।
- राज्य स्तरीय प्रशिक्षण :- गन्ना के उत्पादन और गुणवत्ता को सुधारने और प्रोत्साहित करने के लिए चीनी उद्योग और गन्ना विकास से जुड़े अधिकारियो/कर्मचारियो को नवीनतम तकनीकों और तरीकों से प्रशिक्षित करने और परिचित कराने के लिए गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा एक वर्ष में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। गन्ना विकास के अंतर्गत किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर को प्रति प्रशिक्षण हेतु अकन रू0 40000/- आवंटित किया जाता है।

(Components and Pattern of Assistance under NFSM- Commercial crops during 2022-23)

क्र0स0	घटक (Component)	इकाई लागत रू0 {Unit Cost (Rs.)}	लक्ष्य (Target)		Technologies to be demonstrated
			भौतिक Physical	वित्तीय Financial (Rs. In lac)	
1.	गन्ने के साथ सहफसली और सिंगल बड चिप तकनीक पर प्रदर्शन (Demonstra on on intercropping and single bud chip technology with Sugarcane)	9000 रू0 प्रति हेक्टेयर (8000 रू0 इनपुट और 1000 रू0 आकस्मिकता के लिए (Rs. 9000 per ha. (Rs. 8000 for inputs & Rs. 1000 for Con ngency)	1315.55 ha.	118.40	Cane Department
2.	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण (20 अधिकारी X 2 दिवस) (State level training (20 O cials X 2 days)	40000 रू0 प्रति प्रशिक्षण (Rs. 40000 per training)	4 प्रशिक्षण 4 Trainings)	1.60	Cane Department
Total :-		-	-	120.00	-

नोट – कृषि निदेशालय के पत्रांक कृ0नि0/3738/निया0-02/2021-22/NFSM-CC/दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के अनुक्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना- गन्ना वर्ष 2021-22 हेतु स्वीकृत कार्यान्वयन की धनराशि रू0 32.93 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में कुल रू0 12.43 लाख (केन्द्राश रू0 11.19 लाख एवं राज्याश रू0 1.24 लाख) की धनराशि विभाग को दिनांक 24.03.2022 को PSMS के माध्यम से प्राप्त हुयी है। आवंटित धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत किया जा चुका है।

राज्य सलाहकार मूल्य (एस0ए0पी) से अधिक होती है। इस अंतर को विभाग द्वारा वास्तविक लागत के आधार पर अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है, या तो राज्य इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान एवं राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार है :–

- आधार पौधशाला से गन्ना बीज वितरण पर अनुदान :– जिन गन्ना कृषकों के खेतों पर आधार पौधशाला अधिष्ठापित होगी, ऐसे कृषकों की आधार पौधशाला से गन्ना बीज वितरण पर रू0 50/– प्रति कु0 का अनुदान देय प्रस्तावित है जिसकी अधिकतम सीमा रू0 12500 होगी।
- प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन :– इस योजना के अन्तर्गत जिन गन्ना कृषकों के खेतों पर प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापित होगी, ऐसे कृषको की प्राथमिक पौधशाला से गन्ना बीज वितरण पर रू0 25/– प्रति कु0 का अनुदान देय प्रस्तावित है जिसकी अधिकतम सीमा रू0 12500 होगी।
- क्षेत्रप्रदर्शन – गन्ना बुवाई की नवीनतम तकनीक जैसे गड्ढा विधि, सिंगल बड, ट्रेंच विधि, जैविक गन्ना उत्पादन या स्थानीय अवश्यकतानुसार कृषकों के यहाँ प्रदर्शन स्थापित किये जायेंगे। जिसके लिए गन्ना कृषकों को रुपये 9000/– प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
- गन्ना बीज यातायात एवं कटाई लदाई :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शोध केन्द्रों के फार्म पर उत्पादित अभिजनक बीज के यातायात हेतु क्रेता आधार पौधशाला धारक अथवा गन्ना विकास परिषद को वास्तविक खर्च का शतप्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
- गन्ना बीज अन्तर मूल्य भुगतान :– चूंकि गन्ना बीज की कीमत किसी सरकार द्वारा तय नहीं की जाती है लेकिन बीज की फसल उगाने के लिए बहुत अधिक ध्यान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसलिए गन्ना बीज की कीमत हमेशा के भीतर या राज्य के बाहर स्थित किसी भी गन्ना शोध केन्द्रों से गन्ना बीज दिया जा सकता है।
- कीट/रोग एवं खरपतवार नियंत्रण :– चूंकि गन्ने की फसल की अवधि दो वर्ष या उससे अधिक होती है। इसलिए अन्य कम अवधि की फसल में लागू मापदण्ड इस फसल के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। फसल संरक्षण एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन की कीमत का 50 प्रतिशत या रू0 2000/– प्रति हेक्टेयर का अनुदान देय प्रस्तावित है।
- सूक्ष्म पोषक तत्व (माइक्रो–न्यूट्रियन्ट) जैविक एवं जैव उर्वरकों वितरण :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषकों को गन्ने की खेती एवं चीनी परता सुधार हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों जैविक एवं जैव उर्वरकों की खरीद पर मूल्य का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम रू0 750/– प्रति हेक्टेयर अनुदान देय प्रस्तावित है।
- प्रदर्शन प्लाटो पर अन्य गन्ना कृषकों का भ्रमण कार्यक्रम :– जिन गन्ना कृषकों के यहा प्रदर्शन स्थापित किये जायेंगे उन प्रदर्शन के प्लाटों पर अन्य गन्ना कृषकों का भ्रमण कराया जायेगा। जिससे कृषको को नयी तकनीकी की जानकारी एवं नयी गन्ना प्रजातियों व गन्ने की उत्तम खेती की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रचार–प्रसार :– गन्ने नवीनतम प्रजातियों, उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार कराया जायेगा। प्रचार सामाग्री जैसे पम्फलेट, होर्डिंग, बैनर और प्रौद्योगिकी का डिजिटल प्रदर्शन कराने हेतु 2.40 लाख का प्रस्ताव है।
- मृदा परीक्षण :– गन्ना कृषकों के खेतों से मृदा नमूना एकत्र कराकर मृदा जांच कराने का प्रस्ताव है। जिससे गन्ना कृषकों के खेतों की उर्वरा शक्ति के स्तर का पता चल सकें। जिससे गन्ना खेती में संतुलित उर्वरको का प्रयोग किया जा सके।
- अभिनव कार्यक्रम

- जैविक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम :–प्रदेश के गन्ना शोध केन्द्रों पर एवं प्रगतिशील गन्ना कृषकों के फार्म पर जैविक बीज गन्ना उत्पादन कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत 10000 कु0 गन्ना बीज के उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है। गन्ना बीज उत्पादन के वास्तविक खर्च पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में प्रस्तावित गन्ना विकास योजना का संक्षिप्त विवरण (कार्ययोजना वित्तीय वर्ष 2022–23)

क्र0 सं0	प्रस्तावित कार्यक्रम / योजना का नाम	भौतिक इकाई	अनुदान राशि का विवरण	वित्तीय वर्ष **2022-23**		
				आर्थिक (ला0रू0)	भौतिक लक्ष्य	संख्या लाभार्थी
1.	आधार पौधशाला से गन्ना बीज वितरण	कु0	रू0 50/कु0 अधिकतम 12500 तक	25.00	50000	400
2.	प्राथमिक पौधशाला से गन्ना बीज वितरण	कु0	रू0 25/कु0 अधिकतम 12500 तक	15.00	60000	300
3.	फील्ड प्रदर्शन	हेक्टे0	रू0 9000/– प्रति हेक्टेयर	13.50	150	200
4.	गन्ना बीज ढुलाई एवं कटाई लदाई	कु0	वास्तविक लागत अनुसार	20.00	5000	200
5.	गन्ना बीज अन्तर मूल्य भुगतान	कु0	वास्तविक मूल्यान्तर अनुसार	5.00	5000	200
6.	कीट / रोग एवं खरपतवार नियंत्रण	हेक्टे0	कृषि रसायनों के वास्तविक मूल्य का 50% अथवा अधिकतम रू0 2000 / –प्रति हे0	34.00	1700	2000
7.	सूक्ष्म पोषक तत्व / जैविक एवं जैव उर्वरक विवरण	हेक्टे0	सूक्ष्म पोषक / जैविक एवं जैव उर्वरक मूल्य का 50 % या अधिकतम 750 / हेक्टेयर	7.50	1000	1000
8.	प्रदर्शन प्लाटों पर अन्य गन्ना कृषकों का भ्रमण कार्यक्रम	सं0	रू0 5000 / – प्रति भ्रमण	2.50	50	1000
9.	प्रचार प्रसार	सं0	रू0 2.40 लाख / वर्ष	2.40	-	20000
10.	मृदा परीक्षण	सं0	रू0 155 / – प्रति सैम्पुल अनुदान	3.10	2000	1800
11.	अभिनव कार्यक्रम					
	जैविक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम	कु0	गन्ना बीज उत्पादन के वास्तविक खर्च का 50 प्रतिशत अनुदान	25.00	10000	100
	योग :–			**153.00**	-	27200

नोट :– कार्यालय पत्र संख्या 2104 दिनांक 30.12.2020 द्वारा अंकन रू0 316.90 लाख की कार्ययोजना तैयार कर नोडल संस्था कृषि निदेशालय को प्रेषित की गयी है उक्त क बैठक क्रम में कार्यालय पत्र संख्या 826 / सा0 अनुभाग / 2021–22 दिनांक 25.8.2021 के द्वारा अंकन रू0 145.75 लाख कार्ययोजना कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय को प्रेषित की गयी है। अतिथि तक योजना में वित्तीय एव प्रशासनिक स्वीकृतियां तथा धनावंटन नहीं हुआ है। यह भी अवगत कराना है कि विगत 04 वर्षों से आर.के.वी.वाई योजनान्तर्गत विभाग को धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।

3. वार्षिक कार्ययोजना केन्द्र सरकार की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन

योजना की कार्यअवधि एक वित्तीय वर्ष 2022–23 (रू0 1475.88 लाख) उत्तराखण्ड राज्य के गन्ना विकास में विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्रों को गन्ना कृषकों को अनुदान राशि पर उपलब्ध कराने हेतु कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता वर्ष 2022–23 तक कुल अंकन रू0 1475.88 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है जो कि केन्द्र की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजनान्तर्गत समायोजित की जायेगी।

वित्त :– इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान एवं राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। कृषि उपकरणों का वितरण वैज्ञानिक विधि से गन्ने की खेती और गन्ना उत्पादकों की मदद के लिए उपयोगी कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। गन्ना उत्पादकों की स्थानीय जरूरतों के अनुसार एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना मानदंडों के अनुसार उपकरण दिये जाना प्रस्तावित है। जिसका विवरण इस प्रकार है :–

क्र0सं0	कृषि यन्त्र का नाम	कृषि यन्त्र का प्रकार	कृषि यन्त्र की मांग		अधिकतम देय अनुदान (लाख रू0में)		अनुदान (लाख रू0 में)		योग अनुदान (धनराशि लाख रू0 में)
			अनु0जाति,अनु0ज0 जति, महिला, लघु एवं सीमान्त कृषक	अन्य कृषक	अनु0जाति,अनु0ज0 जति, महिला, लघु एवं सीमान्त कृषक (कृषि यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम)	अन्य कृषक (कृषि यंत्र की कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम)	अनु0जाति, अनु0ज0जति, महिला, लघु एवं सीमान्त कृषक	अन्य कृषक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ट्रैक्टर (TRACTOR)	4WD (above 8-20 PTO HP)	30	70	2.00	1.60	60.00	112.00	172.00
2	ट्रैक्टर (TRACTOR)	2WD (above 20-40 PTO HP)	03	0	2.50	2.00	7.50	0.00	7.50
3	ट्रैक्टर (TRACTOR)	4WD (above 20-40 PTO HP)	33	3	3.00	2.40	99.00	7.20	106.20
4	ट्रैक्टर (TRACTOR)	2WD (above 40-70 PTO HP)	47	5	4.25	3.40	199.75	17.00	216.75
5	ट्रैक्टर (TRACTOR)	4WD (above 40-70 PTO HP)	28	58	5.00	4.00	140.00	232.00	372.00
6	कल्टीवेटर (CULTIVATOR)	Above 35 BHP Tractor driven	129	160	0.50	0.40	64.50	64.00	128.50
7	पॉवर टिलर (Power Tiller)	Bellow 8HP	30	70	0.65	0.50	19.50	35.00	54.50
8	एम0बी0 प्लाऊ (M.B. PLOUGH)	Above 35 BHP Tractor driven	24	16	0.50	0.40	12.00	6.40	18.40
9	डिस्कप्लाऊ (DISC PLOUGH)	Above 35 BHP Tractor driven	25	29	0.50	0.40	12.50	11.60	24.10
10	ब्लेड लेवलर (LEVELER BLADE)	Above 35 BHP Tractor driven	15	00	0.50	0.40	7.50	0.00	7.50

11	[illegible]	Above 35 BHP Tractor driven	105	85	0.50	0.40	52.50	34.00	86.50
12	शुगरकेन ट्रेश कटर	-	8	18	0.25	0.20	2.00	3.60	5.60
13	हाईड्रोलिक प्लाऊ	TO BOTTOM	15	35	0.70	0.56	10.50	19.60	30.10
14	लेजर एण्ड लेवलर	-	9	21	2.00	1.60	18.00	33.60	51.60
15	रोटावेटर 7 फीट (ROTAVATOR)	Above 35 BHP Tractor driven	59	52	0.476	0.381	28.084	19.812	47.896
16	रोटावेटर 6 फीट (ROTAVATOR)	Above 35 BHP Tractor driven	20	6	0.504	0.403	10.08	2.418	12.498
17	ट्रेंच मेकर्स (PTO OPERATED)	Above 35 BHP Tractor driven	62	140	0.15	0.12	9.30	16.80	26.10
18	सब सोयलर (SUB SOILER)	Above 35 BHP Tractor driven	7	30	0.55	0.45	3.85	13.50	17.35
19	रेजर (RIDGER)	Above 35 BHP Tractor driven	29	00	0.15	0.12	4.35	0.00	4.35
20	शुगरकेन कटर / LV°hij lykaVj (STRIPPER PLANTER)	Manual / Tools	10	00	0.75	0.60	7.50	0.00	7.50
21	बीज उपचारित ड्रम (SEED TREATING DRUM)	20 - 35 BHP Tractor driven	28	00	0.18	0.16	5.04	0.00	5.04
22	TRAILER / TROLLY up to 3 Tone Capacity	Above 35 BHP Tractor driven	8	00	0.60	0.50	4.80	0.00	4.80
23	TRAILER / TROLLY up to 5 Tone Capacity	Above 35 BHP Tractor driven	14	01	0.75	0.60	10.50	0.60	11.10
24	SUGARCANE RATOON MANAGER	Above 35 BHP Tractor driven	5	15	1.25	1.00	6.25	15.00	21.25
25	KNAPSACK SPRAYER	Ba ery Operated	350	700	0.035	0.035	12.25	24.50	36.75
TOTAL			**1093**	**1514**			**807.25**	**668.63**	**1475.88**

लागत लाभ विश्लेषण :– सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना गन्ना उत्पादकों की सुविधा के लिए है। योजना से लगभग लागत लाभ अनुपात न्यूनतम 1:1.35 होगा, (किसानों को तुलनात्मक रूप से न्यूनतम 35 से 45 प्रतिशत अधिक लाभ मिलेगा)।

जोखिम विश्लेषण– सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना केवल विकास के उद्देश्य के लिए है इसलिए योजना के नियमन में किसी जोखिम की कोई संभावना नहीं है।

[illegible]

... (P.M.K.S.Y.) [illegible] कार्यक्षेत्र [illegible]

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए [illegible] 91380050.00 की कार्ययोजना [illegible] शासन को प्रेषित किया गया है :

क्रमांक	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4
[illegible]	[illegible]	23	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
योग		[illegible]	[illegible]

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए [illegible] शासन को प्रेषित एवं कार्यालय पत्र क्रमांक [illegible] दिनांक [illegible].2020 द्वारा [illegible] की शासन को प्रेषित की गयी है। [illegible] योजना में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति [illegible]

6.5 गन्ना बीज यातायात एवं कटाई लदाई :– मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शोध केन्द्रों के फार्म पर उत्पादित अभिजनक बीज के यातायात हेतु क्रेता आधार पौधशाला धारक अथवा गन्ना विकास परिषद को वास्तविक खर्चे का शत्प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

6.6 कृषि यन्त्रों पर अनुदान :– मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत मानव चालित यन्त्र की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 2500/– प्रति यन्त्र, शक्ति चालित यन्त्र की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 40,000/– प्रति यन्त्र अनुदान देय प्रस्तावित है। मानव चालित यंत्रों में स्प्रेयर, डस्टर, हैंडहो, शक्ति चालित यन्त्रों में हैरो, कल्टीवेटर डिस्क पलाव के अतिरिक्त रैटून मैनेजमेन्ट डिवाइस, ट्रैन्च ओपनर, पावर स्प्रेयर, रोटावेटर, पावर टिलर/बीडर एवं गन्ने की खेती में प्रयुक्त होने वाले अन्य यन्त्र भी वितरित किया जाना प्रस्तावित है।

6.7. गन्ना बीज अन्तर मूल्य भुगतान :– चूंकि गन्ना बीज की कीमत किसी सरकार द्वारा तय नहीं की जाती है लेकिन बीज की फसल उगाने के लिए बहुत अधिक ध्यान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसलिए गन्ना बीज की कीमत हमेश राज्य सलाहकार मूल्य (एस0ए0पी) से अधिक होती है। इस अंतर को विभाग द्वारा वास्तविक लागत के आधार पर अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है, या तो राज्य के भीतर या राज्य के बाहर स्थित किसी भी गन्ना शोध केन्द्रों से गन्ना बीज दिया जा सकता है।

6.8 कीट/रोग एवं खरपतवार नियंत्रण :– चूंकि गन्ने की फसल की अवधि दो वर्ष या उससे अधिक होती है। इसलिए अन्य कम अवधि की फसल में लागू नापदण्ड इस फसल के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। फसल संरक्षण एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए एक किसान अधिकतम रू0 3000 प्रति हेक्टेयर के लिए ही पात्र होगा। वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 3000 प्रति किसान अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

6.8. सूक्ष्म पोषक तत्व (माइक्रो–न्यूट्रियन्ट) जैविक एवं जैव उर्वरकों वितरण :– मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषकों को गन्ने की सफल खेती एवं चीनी परता सुधार हेतू सूक्ष्म पोषक तत्वों जैविक एवं जैव उर्वरकों की खरीद पर मूल्य का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम रू0 1000/– प्रति हैक्टेयर अनुदान प्रस्तावित है।

6.9. प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण :–

(अ) राज्य स्तरीय :– इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश मुख्यालय पर स्थापित गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के द्वारा दो दिवसीय दो प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक सत्र में 20 विभागीय/चीनी मिल प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसके लिए रू0 30,000 प्रति प्रशिक्षण सत्र गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र को अनुदान देय प्रस्तावित है।

(ब) कृषक प्रशिक्षण ग्राम स्तरीय :– इस योजना के अन्तर्गत गन्ना कृषकों को प्रशिक्षण देने हेतू ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के द्वारा 16 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये प्रस्तावित है जिसमें प्रत्येक सत्र में 50 कृषकों को एक दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिस पर प्रति प्रशिक्षण रू0 12500/– का अनुदान गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा।

6.10. प्रचार–प्रसार :– गन्ने नवीनतम प्रजातियों, उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार कराया जायेगा। प्रचार सामाग्री जैसे पम्फलेट, होर्डिंग, बैनर और प्रौद्योगिकी का डिजिटल प्रदर्शन कराने हेतु 2.40 लाख का प्रस्ताव है।

6.11. मृदा परीक्षण :– गन्ना कृषकों के खेतों से मृदा नमुना एकत्र कराकर मृदा जांच कराने का प्रस्ताव है। जिससे गन्ना कृषकों के खेतों की उर्वरा शक्ति के स्तर का पता चल सकें। जिससे गन्ना खेती में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जा सके।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत उक्तानुसार कार्ययोजना का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में प्रस्तावित गन्ना विकास योजना का संक्षिप्त विवरण (कार्ययोजना वित्तीय वर्ष 2022–23)

क्र0 सं0	प्रस्तावित कार्यक्रम / योजना का नाम	भौतिक इकाई	अनुदान राशि का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23		
				आर्थिक (लाख रु0)	भौतिक लक्ष्य	संख्या लाभार्थी
1.	राज्य के शोध केन्द्रों पर गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम	कु0	गन्ना शोध केन्द्र को रू0 100 प्रति कु0 बीज वितरण पर	10.00	10000	300
2.	आधार पौधशाला अधिष्ठापन	हेक्टे0	रू0 50/कु0 अधिकतम 15000 तक	20.00	600	600
3.	प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन	हेक्टे0	रू0 25/कु0 अधिकतम 10000 तक	10.00	1000	1000
4.	फील्ड प्रदर्शन	सं0	रू0 7500/ प्रदर्शन (क्षेत्रफल 0.500 हेक्टे0 / प्रदर्शन)	7.50	100	100
5.	गन्ना बीज ढुलाई एवं कटाई लदाई	कु0	वास्तविक लागत अनुसार	20.00	5000	250
6.	कृषि यन्त्र वितरण	सं0	कृषि यंत्र की कीमत का 50 % अथवा मानव चालित यंत्रों पर अधिकतम रू0 2500 / शक्तिचालित यंत्रों पर अधिकतम रू0 40000	125.00	-	-
7.	गन्ना बीज अन्तर मूल्य भुगतान	कु0	वास्तविक मूल्यान्तर अनुसार	5.00	5000	250
8.	कीट / रोग एवं खरपतवार नियंत्रण	हेक्टे0	कृषि रसायनों के वास्तविक मूल्य का 50% अथवा अधिकतम रू0 3000 / हे0 / कृषक	34.00	1500	-
9.	सूक्ष्म पोषक तत्व / जैविक एवं जैव उर्वरक वितरण	एम0टी0	सूक्ष्म पोषक / जैविक एवं जैव उर्वरक मूल्य का 50 % या अधिकतम 1000 / हेक्टेयर	7.00	700	600
10.	किसान प्रशिक्षण					
	(i) राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	सं0	रू0 30000/ प्रशिक्षण	0.60	2	40
	(ii) ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण	सं0	रू0 12500/ प्रशिक्षण	2.00	16	800
11.	प्रचार प्रसार	सं0	रू0 2.40 लाख / वर्ष	2.40	-	20000
12.	मृदा परीक्षण	सं0	रू0 150 / सैम्पुल	1.00	666	666
	योग :–			244.50	-	-

2	[illegible]	244.50	[illegible]
	योग –	478.50	478.50
3	केन्द्र सहायतित योजना		
3.1	[illegible]	153.00	153.00
3.2	[illegible] Commercaial Crops-Sugarcane Components & Intercropping of Pulses with sugarcane	120.00	120.00
3.3	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन	1475.88	1475.88
3.4	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	91.36	91.36
	योग –	1840.24	1840.24
	कुल महायोग –	3298.74	3298.74

5 विभागीय समस्यायें / सुझाव।

गन्ने की खेती में आने वाली समस्याएं

1. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की प्रमुख समस्या यह है कि विभागान्तर्गत स्वीकृत जिला योजना, राज्य योजना एवं केन्द्रपोषित योजनाओं में प्रस्तावित एवं अनुमोदित धनराशि विभाग को ससमय प्राप्त नहीं होती है। जिस कारण विभागीय लक्ष्यपूर्ति करने में विभाग को कठिनाईयों का सामना करना पडता है।
2. राज्य की चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को उनके द्वारा चीनी मिल को आपूर्ति किये गये गन्ने का ससमय गन्ना मूल्य भुगतान आदि का न किया जाना भी प्रमुख समस्या है।
3. गन्ना बुवाई से लेकर गन्ना कटाई तक गन्ना कृषकों को अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है जो निम्नवत् है :–

(क) गन्ना कृषकों को बेहतर गन्ना बीज उत्पादन के लिए आधार एवं प्राथमिक पौधशालाओं के अधिष्ठापन हेतु गन्ने की नवीनतम गन्ना प्रजाति, उर्वरक एवं कीटनाशक की आवश्यकता होती है।

(ख) किसानों के खेतों से गन्ना अनुसंधान केन्द्र कोसों दूर स्थित है। गन्ना अनुसंधान केन्द्रों से गन्ना बीज प्राप्त करने में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है।

(ग) गन्ने की खेती एक साल की फसल है, जो कि बुवाई से लेकर कटाई तक वर्ष भर सभी मौसमों (सर्दी, गर्मी और बरसात) से गुजरती है, जिसमें कीट पतंगों, अन्य प्रकार की बीमारियों की सम्भावना रहती है। जिससे गन्ने की खेती में 30 से 70 प्रतिशत की कमी होने की सम्भावना रहती है।

(घ) गन्ने की खेती में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की मशीनों एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है।

(ङ) गन्ना किसानों को गन्ने की खेती के लिए गन्ना उगाने के तरीके एवं पेडी प्रबन्धन की जानकारी का अभाव होता है। जिससे किसानों प्रति हेक्टेयर अधिक उपज प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

(च). भूमि के अन्दर दिन–प्रतिदिन पोषक तत्वों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्तर घटता जा रहा है। जिससे मिट्टी की उर्वरता का अत्यधिक दोहन होता है।

(छ) छोटी एवं बिखरी जोतों का होना।

(ज). ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का न होना।

(झ). गन्ने की फसल को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुचाना।

सुझाव / रणनीतियां

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गन्ने की खेती में निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाया जायेगा।

(क). मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करके जैविक उर्वरकों, कम्पोस्ट एवं हरी खाद का प्रयोग करके कम लागत में अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है, तथा रोग व कीटों पर भी नियन्त्रण पाया जा सकता है।

(ख). मृदा उर्वरकता का एक ऐसा मानचित्र तैयार करना जिसमें कृषकों को सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ–साथ संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना है।

(ग). गन्ना समितियों के माध्यम से गन्ना कृषकों को जैविक उर्वरक मृदा उपचारक एवं बीज उपचारक तथा रोग, कीट रोकथाम हेतु रियाती दर पर कीटनाशक उपलब्ध कराये जायेंगे। जिससे गन्ने की अधिक उपज प्राप्त करने में मद्द मिलेगी।

(घ). गन्ना किसानों को पेड़ी प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत अनुदान पर जैविक उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ड). गन्ना उत्पादक कृषकों को अपने खेत से चीनी मिल गेट / क्रय केन्द्र तक गन्ना आपूर्ति हेतु अन्तर्ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराना है।

(च). जो कृषक गन्ने की खेती नहीं कर रहे है उन्हें गन्ना उगाने हेतु प्रेरित कर गन्ना समितियों से जोड़ा जायेगा।

(छ). गन्ना कृषकों को प्रशिक्षण भ्रमण सूचना केन्द्रों एवं इण्टरनेट के माध्यम से गन्ना की आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में अवगत कराया जायेगा।

(ज). गन्ने के बहतर उत्पादन के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक शक्ति के स्तर को बनाये रखना।

(झ). गन्ना कृषकों को उच्च उत्पादन एवं उच्च शर्करायुक्त प्रजातियों का गन्ना अनुसंधान केन्द्र व पौधशालाओं से बीज उपलब्ध कराना हैं।

(ञ). गन्ना उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संतुलन बनाये रखने का प्रयास करना है।

(ट). राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषकों को जैविक गन्ना, गुड़, खाण्ड तथा अन्य उत्पादों का एफ0पी0ओ0 बनाने के उद्देश्य से जैविक कृषि के अवयवों को तैयार करना अपेक्षित है।

विभागीय संरचना
गन्ना विकास विभाग
उत्तराखण्ड

पुनर्गठन के बाद गन्ना एवं चीनी आयुक्त अधिष्ठान उत्तरांचल सरकार

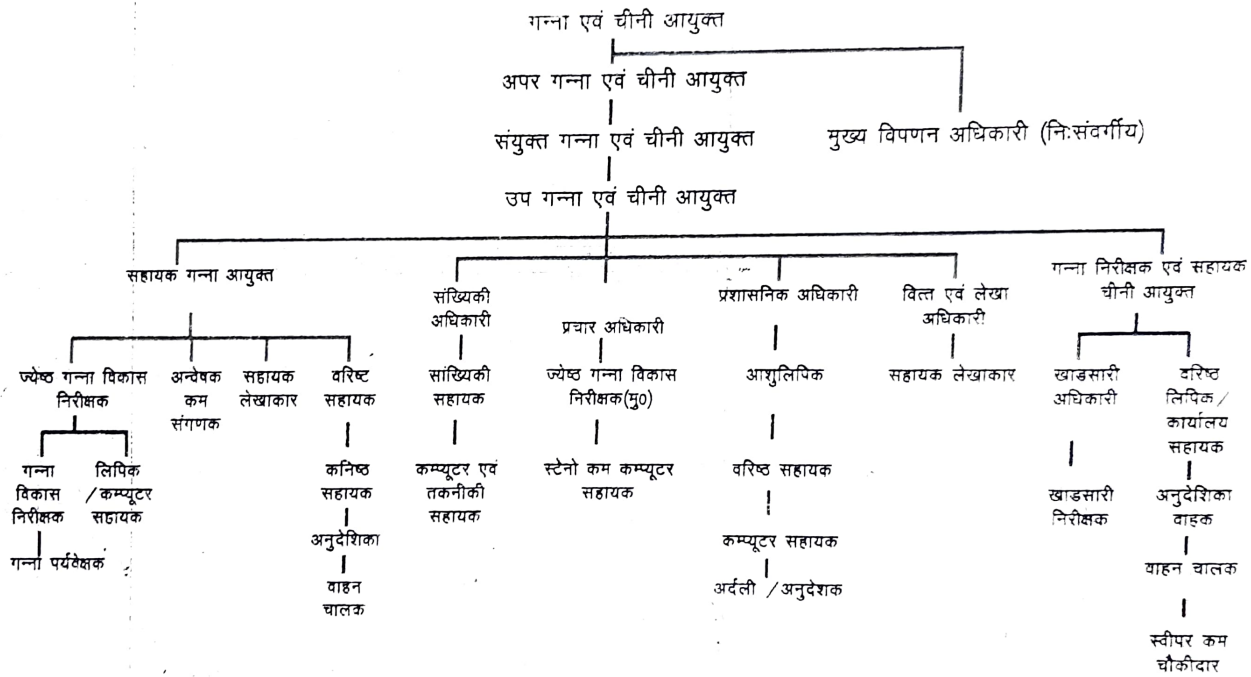

नोट :-

1. अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त का पद पदोन्नति से बाद में भरे जाने का प्रस्ताव है।
2. सांख्यिकी अधिकारी, प्रचार अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी वित्त एवं लेखाधिकारी के पद नियमानुसार सृजित होंगे।